

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil 2nd Appeal No.514/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सारांश सैनी।

:: आदेश दिनांक :: 5.3.2019

प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी किए जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश किये जाने पर प्रत्यर्थागण को आगामी दो सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

निवेदन अनुसार अपीलार्थी के अधिवक्ता को नोटिस तामील हेतु दस्ती प्रदान किये जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति